

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 450]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 सितम्बर 2014—आश्विन 2, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2014

क्र. एफ-3-10-2011-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37, सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्वारा श्रीमती मीना भट्ट को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दिनांक 27 फरवरी 2017 तक की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति, जबलपुर संभाग जबलपुर में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है.

No. F. 3-10-2011-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhiniyam, 1981 (No. 37, of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoint Smt. Meena Bhatt as Chairperson in the Divisional Vigilance Committee, Jabalpur Division Jabalpur for the period of 27th February 2017 from the date of Joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.